संख्या-2/2019/67/53-2-19-06(बजट)/2018

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 30 जनवरी, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में (अनुदान संख्या-16-सामान्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-523/दुग्ध-4/नियो0/दुग्ध नीति-2018/2018-19, दिनांक-10.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 हेतु रू0 पांच करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में नई मांग के रूप में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत रूपये 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में निर्धारित गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस प्रयोजन/जिन कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद/प्रयोजन में ही इसका व्यय अनुमन्य होगा ।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) धनराशि का आहरण कर इसे किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(6) वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102 डेयरी विकास परियोजनाएं-09-उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-58/दस-2019, दिनांक- 25 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-2/2019/67(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।